भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 234*

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

अवैध हथियार और गोला-बारूद रखना

***234. डा० जनार्दन वाघमरे :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में बहुत से लोगों के पास अवैध हथियार और गोला-बारूद है;
(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास अवैध हथियार और गोला-बारूद थे;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार अवैध हथियार और गोला-बारूद रखने वाले लोगों को जेल भेजने हेतु कानून को और अधिक कठोर बनाए जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 13.03.2013 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) से (ग) : जी नहीं, इस राय को समर्थन प्रदान करने वाली ऐसी कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अवैध हथियार और गोला-बारूद हैं । तथापि, दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में अवैध हथियारों एवं गोला-बारूद के साथ 3431 लोगों को गिरफ्तार किया है ।

(घ) : आयुध अधिनियम में दिए गए मौजूदा प्रावधान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं ।

****